दिनांक 16.01.2025 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

भिलाई निगम के अधिकारी/कर्मचारी समय पर आफिस आये, समय पर आफिस से घर जाये–आयुक्त

भिलाईनगर। आज आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय निगम मुख्य कार्यालय के सभी विभागो में जाकर आकस्मिक निरीक्षण किये। वहां जाकर उनके द्वारा किये जा रहे आफिस कार्यो के बारे में जानकारी प्राप्त किये। सभी विभाग प्रमुख एवं कर्मचारियो को यह भी निर्देशित किये की सब लोग सुबह 10 बजे अपने कार्यालयीन अवधि में आफिस आकर निष्ठा एप्प लागाये। 10 बज कर 10 मिनट के बाद निष्ठा ब्लाक हो जाएगा और अपने दायित्वो का निर्वहन करके समय पर अपने घर जाये। सभी कर्मचारी यह ध्यान दे कोई भी आवेदक/जनता आता है, तो उसको पुरी जानकारी दे। सर्वप्रथम उनसे अच्छी शैली में बात करें और उसको संबंधित विषय की पुरी जानकारी दें, आवेदक को बार–बार निगम न आना पड़े। भूमि आबंटन, नामंत्रण, फ्रीहोल्ड के प्रकरणो का निराकरण आवेदन जमा होने के 2 माह के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। इस संबंध में राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी ने बताया कि नामंत्रण, फ्रीहोल्ड के प्रकरणो का समाचार पत्रों में प्रकाशन होता है। उसमें 1 माह का समय अवधि दिया जाता है। आवेदक को किसी प्रकार का दावा आपत्ति है, तो उसके माध्यम से आफिस आकर कर सकते है। उसके बाद सभी प्रकार की फाईलिंग कार्य 1 माह के अंदर पूर्ण करके आवेदक को सूचित किया जाएगा। पुरे कार्य की समय अवधि 2 माह अधिकतम होगी। आयुक्त पाण्डेय ने यह भी कहा मेरे पास कोई भी प्रकरण 1 दिन से ज्यादा नहीं रूकेगा। फाईल जिस विषय से संबंधित है, उसके बारे मे पूरी जानकारी के साथ संक्षिप्त में लिखकर भेजें, जिससे फाईल के बारे में समझने में आसानी हो। इसी तारतम्य में योजना, संपत्तिकर, भवन अनुज्ञा, काउन्टर शाखा, कैश काउन्टर, राजस्व विभाग, जनसूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग में जाकर फाइलो को जांच किये। कितने दिन में आवेदन आया, कितने दिन में निराकरण किया गया, यदि विलम्ब हुआ तो क्यों हुआ। इसके बारे में विभागीय अधिकारी से जानकारी प्राप्त किये। यह भी कहा की कार्य पूर्ण हो जाए तो संबंधित आवेदक को मोबाईल नम्बर पर सूचित करे। सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने दायित्वो का निर्वहन करेगे।